तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.01.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रैस्पो0 द्वारा दिनांक 04.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायायल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2021 की अपील पूर्व से न्यायालय में अपील संख्या 67/21 उनवानी महावीर बनाम मंजू विचाराधीन हैं। परन्तु अपीलाण्ट ने इसी आदेश के विरूद्ध दूसरी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित करा ली है। जबकि अपीलाण्ट को इस प्रकार दूसरी अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहा है। फिर भी न्यायालय से तथ्यो को छुपातो हुये, दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दूसरी अपील अपीलाण्ट संख्या 01/24 को इसी स्तर खारिज करते हुये, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02.01.2024 को भी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर दोनों अपील पत्रावलियो को कार्यालय से तलव किया गया। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये, अपने विशेष कथनो में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में कैबियट थी। इसलिये अपीलाण्ट को न्यायालय हाजा से स्थगन नहीं मिल पाया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने तथ्यो को छुपाते हुये, दूसरी अपील प्रस्तुत कर दी एवं उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की पालना को स्थगित करवा लिया। अपीलाण्ट ने सारी कार्यवाही न्यायालय को गुमराह करते हुये की गयी है। इस प्रकार दूसरी अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावें एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02.01.2024 को भी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि सीपीसी में धारा 10, 11 में प्रावधान हैं। दुबारा की गयी कार्यवाही को रोक सकते हैं। अभी न्यायालय हाजा से अन्तिम आदेश नहीं हुआ है। अतः पुरानी अपील को अपीलाण्ट वापस ले लेंगें। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन अपील संख्या 67/21 व नवीन अपील संख्या 01/24 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2021 एवं मुकदमा संख्या 95/21 उनवानी मंजू बनाम महावीर, अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलो में समान पक्षकार, समान विवादित आराजी एवं एक ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय से तथ्यो को छुपाते हुये, प्रस्तुत की गयी हैं। लिहाजा हम रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, पश्चात्वर्ती अपील संख्या 01/24 उनवानी महावीर बनाम मंजू को इसी स्तर पर खारिज करते हुये, उक्त अपील में अपीलाण्ट द्वारा तथ्यो को छुपाते हुये, पारित कराये आदेश दिनांक 02.01.2024 को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अपीलाण्ट की पूर्ववर्ती अपील संख्या 67/21 न्यायालय में विचाराधीन रहेगी। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02.01.24 को निरस्त करते हुये, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05-01-2024 (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)